

193

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
:: मंत्रालय ::  
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर



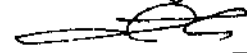
// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 13 / 7 / 2011.

कमांक 2390 / एफ 1-15 / 2009 / 38-2. मैट्स विश्वविद्यालय, ग्राम गुल्लु (आरंग) जिला रायपुर के अध्यादेश कमांक 39 से 73 का छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 29 के तहत अनुमोदन किया गया है। एतद् द्वारा जिसकी अधिसूचना दिनांक 13-07-2011 को जारी की जा रही है।

2/- उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन के तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
13/7/2011  
(सी०के० खैतान)  
सचिव

C/C

छ०ग०शासन, उच्च शिक्षा विभाग

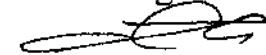
NOTIFICATION

Raipur, Dated 13 - 07-2011

No. 2390 / F 1-15 / 2009 / 38-2- The Ordinances 39 to 73 of MATS University Gillu (Arang) Raipur which have been approved under section 29 of Chhattisgarh Private University (Establishment & Operation) Act, 2005 by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur is being hereby notified on 13-07-2011

2. The ordinances Shall come into force from the date of it's Publication in the official gazette

By the Order and in the name of Governor  
of Chhattisgarh

  
13/7/2011  
(C.K. Khaitan)  
Secretary

Chhattisgarh Government  
Higher Education Department

O/C